बच्चों का अपना अखबार

गुब्बारा

वर्ष 1, अंक 3, मई-जून

विश्व पर्यावरण दिवस
पर आपको मंगलकामनाएं

5 जून पूरी दुनिया में पर्यावरण दिवस के रुप में मनाया जाता है। इस दिन हम अपनी इस सुंदर धरती को हरा-भरा, सबके रहने योग्य, बढ़ने योग्य बनाने के वादे को याद करते हैं। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगौर की कविता आपके लिये प्रकाशित कर रहे हैं। मूल बांग्ला भाषा में लिखी इस कविता का हिंदी में रुपांतरण सुप्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने किया था।

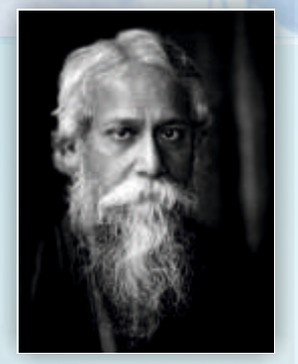

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। पिछले वर्ष पूरे देश ने उनकी 150 वीं जयन्ती मनाई। उनके गीत, कविताएं, साहित्य और लेख पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। कविताओं के संग्रह गीतांजलि के लिये उन्हें सन् 1913 में सहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह एकमात्र भारतीय हैं, जिन्हें साहित्य के लिये नोबेल पुरस्कार मिला। शिक्षा का विश्वविद्यालय 'शांति निकेतन' भी उन्होंने आरंभ किया। आज देश-विदेश से पर्यावरण को प्यार करने वाले छात्र वहां पढ़ने आते हैं। रवीन्द्र संगीत भी गुरुदेव की देन है। हमारे देश का राष्ट्रीय गान- जन गण मन भी, उन्हीं ने लिखा।

भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्यप्रदेश में हुआ था। पूरा देश उनकी जन्मशती मना रहा है। भवानी भाई, महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने 'भारत छोड़ो आंदोलन' में भागीदारी की और जेलयात्रा भी की। अपनी कविताओं में पूरे देश का हाल कहा। जल, जमीन, जंगल उनकी कविताओं में शामिल रहा। आकाशवाणी और फिल्मों से भी उनका जुड़ाव रहा।

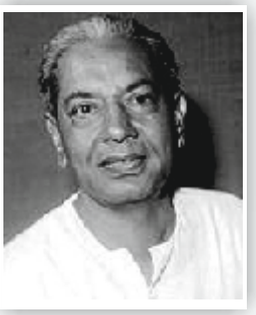

देश की माटी देश का जल

देश की माटी, देश का जल
हवा देश की, देश के फल
सरस बनें प्रभु सरस बनें।

देश के घर और देश के घाट
देश के वन और देश के बाट
सरल बने प्रभु सरल बनें।

देश के तन और देश के मन
देश के घर के भाई-बहन
विमल बनें प्रभु विमल बनें।

श्रीमती दीपक कालरा

बच्चों के अधिकारों का हनन न हो, इसके लिये भारत सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया है। राज्यों में भी ऐसे ही आयोग बनाये गये हैं। 23 फरवरी 2010 को राजस्थान में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। श्रीमती दीपक कालरा जी इस आयोग की अध्यक्ष हैं। दीपक जी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। वह बीकानेर भी आईं। बच्चों से भी मिलीं। बाल अधिकारों पर जनसुनवाई भी की। जन सुनवाई के दौरान और उसके बाद जिले के आला अफसरों की मीटिंग भी की। सबको पाबंद किया कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसी भी बच्चे के अधिकारों का हनन न हो। हरेक बच्चे को उसके अधिकारों का उपयोग करने के पर्याप्त अवसर और सुविधाएं मिले। गुब्बारा के पाठकों के लिए उन्होंने ये संदेश भेजा है। हम उसे आप सब के लिए यहां प्रकाशित कर रहे हैं। इस आशा के साथ कि परिवार, शाला, पंचायत, अस्पताल और बच्चों से जुड़े हर संस्थान बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करेंगे।

बच्चों के अखबार गुब्बारा के प्रकाशन पर बाल आयोग की उरमूल को शुभकामनाएं। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के सभी बच्चों को स्वाधीनता और गरिमा के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के पर्याप्त अवसर और सुविधाएं मिलें। बचपन और किशोरावस्था में शोषण से मुक्ति मिले और सुरक्षा भी मिले।

राजस्थान की 48 प्रतिशत जनसंख्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाऐं काम कर रही हैं। इसके बावजूद राज्य में बालश्रम, बाल तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, कुपोषण और बाल शोषण बड़ी चुनौतियां हैं। राज्य में इन्हें रोकने के लिए कानूनों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। बच्चे अपने अधिकारों के लिए सघर्षरत हैं।

राजस्थान, भारत में बाल श्रम के मामले में तीसरे स्थान पर है। 12.60 लाख से अधिक बालश्रमिक जरी, आरी-तारी, जैम पालिशिंग, कारपेट बनाना, बीड़ी बनाना, कृषि व्यवसाय, ईंट भट्टों, घरेलू श्रमिक, ढाबों, चाय की दुकान आदि व्यवसायों में संलग्न हैं। काम के लिए बच्चों की तस्करी भी काफी हो रही है। राजस्थान के विभिन्न शहरों में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के बच्चों को लाकर यहां मजदूरी कराई जाती है। दक्षिण राजस्थान से, बी. टी. कपास के बीज उत्पादन के काम के लिए बाल मजदूर गुजरात ले जाये जाते हैं। बच्चों को बंधुआ श्रमिक बनाकर 12 से 16 घंटे तक लगातार काम करवाया जाता है। बाल श्रम में सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम समुदाय के बच्चे सम्मिलित हैं।

बाल श्रम की समस्या को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भोजन की सुरक्षा के साथ बाल अधिकारों की दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है। बाल श्रम समाप्त करने के लिए एक प्रभावी नीति आवश्यक है जिसमें बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने के साथ उनके सुव्यवस्थित पुर्नवास के पर्याप्त प्रावधान हों। बाल श्रम को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। बाल श्रम को खत्म करने के लिये हमारे देश के सभी नेताओं को भी मिलकर काम करना होगा।

बच्चों पर पढ़ाई का दबाव भी काफी बढ़ता जा रहा है। बच्चों को दी जा रही यातना, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना के नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का स्कूल छोड़ देना, आत्महत्या की घटनायें, शिक्षा के स्तर में गिरावट इसके मुख्य उदाहरण है। अनुशासन के नाम पर घर, सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों, बालगृहों में बच्चों की पिटाई की जा रही है। पढ़ाई का दबाव बनाने के लिए बच्चों पिटाई की जा रही है, वह ना केवल गलत है बल्कि गैर कानूनी भी है। बच्चों पर यह अत्याचार सीधे तौर पर बाल अधिकारों का उल्लंघन है और यह बच्चे की गरिमा के खिलाफ भी है। इसकी जितनी निंदा की जाये कम है। बच्चे इस हिंसा को बार-बार सहन कर लेते हैं। वे कुछ नही कहते। लेकिन भविष्य में इसका असर जरूर उनकी शिक्षा, उनके स्वभाव में नजर आने लगता है।

बच्चों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना में पिटाई, डराना, खड़ा कर देना, फुट्टे से मारना, मुर्गा बनाना, शारीरिक शोषण, लड़के-लड़कियों को, एक दूसरे के सामने प्रताड़ित करना, अप-शब्द बोलना, उनका मजाक उड़ाना जैसी बुरी बातों से उनको शारीरिक एवं मानसिक परेशानी होती है। अभी कुछ दिनों पहले ही झुझुंनू जिले की पिया चौधरी की पिटाई के कारण आँख की रोशनी चली गई। बच्चों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायलय के आदेश और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना अति-आवश्यक है। .....

.....यह हमारे समाज की विडम्बना है कि महानगरों और बड़े शहरों में बहुत सारे बच्चे अपने परिवारों से दूर विषम परिस्थितियों में सड़कों पर अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों के फेंके गए कचरे से अपना गुजारा चलाते हैं। पेट भरते हैं। जिन हाथों में बस्ते और किताब होनी चाहिए, उन हाथों में कचरे के बड़े-बड़े थेले होते हैं। ये बच्चे, प्रतिदिन कई टन कचरा बीनते हैं। सरकार ने ऐसे बच्चों के पुर्नवास के लिए कानून और नीतियां तो बना दी हैं किंतु उनकी पालना ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है।

बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है कि हम उन्हें हिंसा मुक्त वातावरण में पढ़ाई का माहौल दें, जहां बच्चे रूचि से पढ़ सकें। जहां सवाल पूछने पर उन्हें डंडा ना पड़े। वह खुलकर अपनी समस्या, अपनी बात बोल सकें। विद्यालयों में दोषी शिक्षकों पर तुरंत कार्यवाही हो। शिक्षा विकास और प्रबन्ध समितियां सक्रिय हों। बाल मंचों का गठन हो। विद्यालयों और पंचायतों में बच्चों के लिये शिकायत और सुझाव पेटी भी लगी होनी चाहिये। जिसमें बच्चे अपनी शिकायत और सुझाव की चिट्ठी डाल सकें।

देश का विकास पूर्णतः बच्चे के विकास से जुड़ा हुआ है। विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं है। विकास की परिधि में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन जीने की स्वतंत्रता, विचार व अनुभव व्यक्त करने की आजादी भी शामिल है। विकास को मापने का सूचक यह भी है कि राष्ट्र के लोगों को मौलिक अधिकार उपयोग करने की स्वतंत्रता है या नहीं। विकास की निरंतरता के लिए बच्चों को अधिकार देना जरूरी है क्योंकि भविष्य में विकास की प्रक्रिया की बागडोर इन्हीं बच्चों के हाथों में होगी।

बाल अधिकारों के व्यापक स्तर पर हो रहे हनन की स्थिति में यह बेहद आवश्यक हो जाता है कि बाल अधिकारों के सरक्षंण के लिए समाज के हर तबके से आवाज उठे। बच्चे अपने हकों की मांग करें। बच्चों की अपने परिवार और समुदाय में सक्रिय सहभागिता हो। हम सबको यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को समाज में न्यायपूर्ण व समतापूर्ण सुविधाएं प्राप्त हों। बच्चों के लिये ऐसा माहौल बनाया जाये, जिसमें बच्चे सुरक्षा के साथ रह सके और जीवन में अपनी पूर्ण संभावनाओं को प्राप्त कर सकें।

बाल विवाह का करो बहिष्कार

बाल विवाह कानूनी अपराध के साथ-साथ सामाजिक विकास में बाधक भी है। आखा तीज पर हमारे गांवों में बाल विवाह जैसी कुरीतियां दिखाई देती है। इसे रोकने के लिए उरमूल सीमान्त ने आखा तीज से पहले गांव-गांव में बाल विवाह रोको अभियान चलाया। इसे देखने श्रीमती दीपक कालरा भी आईं। उन्होंने चाण्डासर गांव के ग्राम पंचायत भवन में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों से भरे प्रांगण में उरमूल के गावणियार दल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में भाग लिया। गावणियार दल के इस मनोरंजक और जानकारी देने वाले कार्यक्रम ने जैसे सबको बांध रखा था। इस कार्यक्रम में बाल विवाह से होने वाली हानियों को कठपुतली, नाटक और गीतों के रोचक माध्यम से प्रस्तुत किया गया। सब कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रहे थे। गावणियार दल बाल विवाह से होने वाली हानियों को बहुत रोचक तरीके से लोगों के दिलों तक पहुंचा रहे थे। कार्यक्रम के अंत में आयोग अध्यक्ष ने कार्यक्रम और कलाकारों की बहुत प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि मैने कठपुतली और नाटकों के बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन पहली बार इतना रोचक और मनोरंजक कार्यक्रम देखा है जिसने हर उम्र के लोगों को इतनी देर तक बांधे रखा। वो भी पूरे अंत तक।

उन्होने ग्रामीणों के उत्साह की सराहना करते हुए बाल विवाह के खतरे और कानून के बारे में बताते हुए ग्रामीणों से निवेदन किया कि वे बच्चों की कम उम्र में शादी करके उनको खतरों की राह पर नहीं धकेलें, बल्कि उनकी अच्छी परवरिश और शिक्षा प्रदान करवाएं ताकि भविष्य में वह हमारे समाज को मजबूती दे सकें। ग्राम सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी ने दीपक कालरा जी का गांव में आकर बाल विवाह अभियान से जोड़ने पर धन्यवाद देते हुए यह विश्वास दिलवाया कि चाण्डासर गांव को बाल विवाह मुक्त गांव बनाने का प्रयास करेगे।

उरमूल परिवार ने की बाल अधिकारों पर जनसुनवाई

राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती दीपक कालरा जी बीकानेर आई

नरेंद्र ने फर्राटे से पढ़ दी ब्रेल

बाल आयोग की अध्यक्ष श्रीमती दीपक कालरा डूंगरगढ़ के देराजसर गांव में उरमूल ट्रस्ट के दृष्टि प्रोजेक्ट को देखने आयीं। देराजसर गांव में ट्रस्ट के दृष्टि प्रोजेक्ट ने निःशक्त एवं दृष्टिहीन बच्चों को विशेष शिक्षक के सहयोग से सशक्त किया है। 12 साल का नरेंद्र दृष्टिहीन है। जब बाल आयोग की अध्यक्ष नरेंद्र से मिलने उसके घर पहुंची तो उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ चमक रही थी। नरेंद्र ने सुन्दर केप लगा रखी थी। जब आयोग अध्यक्ष ने नरेंद्र से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो उसने ब्रेल में लिखी किताब को फर्टि से पढ़ कर सुना दिया। नरेंद्र बताया कि उसे खेलना बहुत अच्छा लगता है। दिसंबर 2011 में बीकानेर में हुई खेलकूद प्रतियोगिता में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। वह हर रोज स्कूल जाता है। आयोग अध्यक्ष ने उसको खूब पढ़ने और आगे बढ़ने की शुभ आशीष दी।

बीकानेर में उरमूल परिवार ने राजस्थान बाल आयोग के साथ, बच्चों के अधिकारों को लेकर जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में बीकानेर के कोलायत, लूणकरणसर, खाजूवाला, नोखा, डूंगरगढ़ तहसीलों के साथ-साथ चुरु जिले की सरदार शहर तहसील के गांव, चक, ढ़ाणी के बच्चे और उनके अभिभावक अपनी परेशानियों को लेकर बीकानेर के किसान भवन में आये। उनकी परेशानियों को राजस्थान बाल अधिकार सरंक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती दीपक कालरा के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राजस्थान प्रतिनिधि श्री अरविंद ओझा ने पूरी संवेदनशीलता से सुना।

बच्चों से संबधित शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्रम विभाग सहित विभिन्न विभागों के बड़े अधिकारियों को भी इस जनसुनवाई में बुलाया गया। ताकि सुनवाई से अधिकारी, विभाग की तरफ से होने वाली कमी को जान सकें और बच्चों की शिकायतों की सुनवाई उनके सामने हो और विभाग के अधिकारी उनको निपटाने की प्रक्रिया शुरु करें।

मेडम बात–बात पर डांटती हैं

जामसर की 13 साल की रजिया ने शिकायत की " हमारे स्कूल की मंजू मेडम बात-बात पर डांटती हैं।" आयोग अध्यक्ष ने तत्काल शिक्षा विभाग के उपस्थिति अधिकारियों से जामसर की शिक्षिका से फोन पर बात करवाने को कहा। फोन पर मंजू मेडम तो नहीं मिलीं किंतु शाला की प्रधानाध्यापिका को उन्होंने हिदायत दी कि मंजू मेडम अपने व्यवहार को सुधारें अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सुनवाई में उपस्थिति शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी पाबन्द किया कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी शाला में किसी भी बच्चे के साथ शिक्षकों का व्यवहार गलत न हो।

अध्यापक नहीं आते

डूंगरगढ़ के बापेऊ गांव में स्कूल में पढ़ने वाली अन्नू ने बताया कि हमारे स्कूल में अध्यापक नहीं आते हैं। इसके कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इस पर कालरा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बापेऊ गांव में अध्यापक को नियमिति स्कूल आने के लिये पाबंद करने के आदेश दिये।

विशेष अध्यापक उपलब्ध करायें

मुण्डसर गांव से आये ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि उसके दो भाई दृष्टिबाधित हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। उनको पढ़ाने के लिये विशेष अध्यापक आज तक स्कूल नहीं आये हैं। इस पर कालरा जी ने सर्व शिक्षा अभियान को निर्देश दिये की वह तुरंत ओम प्रकाश के भाईयों के लिये विशेष अध्यापक उपलब्ध करायें।

जनसुनवाई में 129 शिकायतें सुनी गईं। इनमें 34 शिक्षा विभाग, 33 सर्व शिक्षा अभियान, 3 स्वास्थ्य विभाग, 27 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 4 महिला एवं बाल विकास विभाग, 3 डाक विभाग, 17 रसद विभाग, 5 जलदाय विभाग, 1 पी डब्लू डी विभाग, 01 जेल एव न्याय विभाग, 1 चाइल्ड हेल्प लाइन के फोन न लगने से सम्बन्धित शिकयतें मिली। दूर-दराज से आये 170 से भी ज्यादा बच्चों ने इस जनसुनवाई में अपनी परेशानियां रखीं। इन परेशानियों में गांव में शाला नहीं होना, शाला में गुरुजी का न आना, शाला में लड़कियों के लिये शौचालय नहीं बन होना, और अगर बना है तो उसकी सफाई न होना जैसी बातें भी शामिल थी। दीपक जी ने इन परेशानियों को अपनी डायरी में लिखा और सभी अधिकारियों से यह कहा कि वह बच्चों की इन परेशानियों को जल्द से जल्द सुलझायें। इस जनसुनवाई की सबसे खास बात यह रही कि इसमें निःशक्त व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने

अपनी पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था की मांग की। सभी अधिकारियों ने इन की बातों को गौर से सुना और वादा किया कि इन की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझायेंगे।

सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला कलेक्टर डा. पृथ्वी ने उन्हें आश्वस्त किया कि एक महीने में सुनवाई की सारी समस्याओं का हल जिला प्रशासन कर देगा।

रशीदा को मिली पहिये वाली कुर्सी

रशीदा को मिलने उसके घर गजनेर गई दीपक कालरा जी। उसकी स्थिति देख वे दुखी हो गई। रशीदा के दोनों पैर काम नहीं करते। वह घिसट-घिसट कर चलती है। इस कारण उसके शरीर के निचले हिस्से में घाव हो गए हैं। दीपक कालरा जी ने तुरंत उसके घावों का इलाज डाक्टर से करवाने के लिये उसके परिवार और उरमूल के कार्यकर्ताओं को कहा। उसे पहिये वाली कुर्सी और सिलाई मशीन दिलवाने के लिए भी उरमूल से आग्रह किया। अगले ही दिन बीकानेर में आयोजित बाल अधिकार जनसुनवाई में महावीर विकलांग सहायता समिति ने पहिये वाली कुर्सी रशीदा को प्रदान की। समिति के अध्यक्ष श्री निहालचंद कोचर और सचिव श्री अनन्तवीर जैन ने घोषणा की कि किसी भी निःशक्त बच्चे को किसी भी प्रकार के सहायक उपकरणों की आवश्यकता होने पर वे उरमूल के माध्यम से समिति को कह सकते हैं।

चाइल्डलाइन–1098 के पोस्टर का विमोचन

जनसुनवाई में श्रीमती दीपक कालरा जी ने बच्चों की सहायता के लिए शुरु की गई टेलीफोन हेल्पलाइन चाइल्डलाइन-1098 के पोस्टर का विमोचन किया। चाइल्डलाइन मुसीबत में फसे, परेशान बच्चों की मदद करने वाली हेल्पलाइन है। कोई भी बच्चा मदद के लिए चाइल्डलाइन को 24 घंटे, कभी भी फोन कर सकता है। अप्रैल महीने में बच्चों और बड़ों ने चाइल्डलाइन को फोन कर बाल विवाह होने की सूचनाएं देकर बहुत सारे बाल विवाह रुकवा दिए। घर से नाराज होकर भागे, परिवार से बिछड़े और गुम हो गये बच्चों को भी चाइल्डलाइन ने उनके परिवार तक पहुंचाने का काम किया है।

बालिकाओं की साईकिल के लिए उपजिला प्रमुख ने दी आयोग को अर्जी

बीकानेर जिला परिषद के उप जिला प्रमुख श्री नारूराम मेघवाल, जनसुनवाई में पूरे समय उपस्थिति रहे। अंत में उन्होंने कालरा जी को बताया कि कोलायत तहसील के पेथड़ासर गांव से उच्च माध्यमिक स्कूल 7 किलोमीटर दूर गिर्राजसर गांव में है। गांव सुदूर क्षेत्र में होने से यहां परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हर रोज 18 बालिकाएं पेथड़ासर से पैदल 7 किमी दूर गिर्राजसर के स्कूल में पढ़ने जाती हैं। गर्मी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सात किलोमीटर सुबह जाना और दोपहर को आना इन बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना असर डालता होगा। उन्होंने कहा कि चार बार अधिकारियों को लिखित में साईकिल देने की प्रार्थना की, लेकिन आज तक बालिकाओं को साईकिल नहीं मिली है। आयोग अध्यक्ष ने गौर से उनकी बात सुनी और कार्यवाही के लिये आश्वस्त किया।

बच्चे और अभिभावक बाल आयोग से नीचे दिये गये पते पर फोन कर या चिट्ठी लिखकर संपर्क कर सकते है।

श्रीमती दीपक कालरा, अध्यक्ष
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर-302015, राजस्थान
फोन नंबरः-0141 2227400, ई-मेलः rscpcr.jaipur@gmail.com

खबर गांव गांव से

दासोड़ी में हुई बाल अधिकारों की ट्रेनिंग

दासोड़ी गांव में 80 किशोर-किशोरियों को बाल अधिकारों की ट्रेनिंग दी गई। जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार सहित सभी अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण के दौरान किशोरी प्रेरणा मंच की सदस्य भवरी ने बताया कि बाल विवाह एक अपराध है। बाल विवाह का पता चलने पर चाइल्डलाइन के नंबर 1098 पर फोन कर इसकी सूचना देनी चाहिए।

चिमाणा में हुई दक्ष प्रशिक्षक बनाने की ट्रेनिंग

चिमाणा गांव में किशोरो को दक्ष प्रशिक्षक के रूप में तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में एक अच्छे प्रशिक्षक के गुण व प्रभावी संप्रेषण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ट्रेनिंग में धागे और रंग से पेंटिंग बनाकर कहानी कहने की गतिविधि मुख्य रही।

बज्जू में हुई जीवन कौशल और नेत्रत्व विकास की ट्रेनिंग

बज्जू में 18 और 19 मई को 40 किशोर-किशोरियों ने जीवन कौशल और नेत्रत्व विकास प्रशिक्षण की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में स्वजागरूकता, प्रभावी संप्रेषण, निर्णय व नेत्रत्व के बारे में रोल प्ले, नाटक, समूह चर्चा के माध्यम से जानकारी दी गई।

गुब्बारा में हम एक नये कॉलम की शुरुआत कर रहे हैं। इस कॉलम में हमें इतिहास में लिखे गये पत्रों को पढ़ने का मौका मिलेगा। ये पत्र हमें इतिहास और महापुरुषों के विचारों को जानने और समझने के लिये उपयोगी साबित होंगे। कृपया इसे पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ायें।

कॉलम की शुरुआत चाचा नेहरु के पत्र से है जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को 1928 में लिखा था। उस समय इंदिरा गांधी गर्मियों की छूट्टियां मनाने मसूरी के पहाड़ों पर गई हुईं थी। इन सभी पत्रों को इक्कठ्ा कर एक किताब बना कर छापा गया। इस किताब का नाम 'लेटर फार्म ए फादर टो हिज डॉटर'। यह पत्र अंग्रेजी में लिखे गये थे। बच्चों के लिये बेहतरीन कहानियां लिखने वाले लेखक स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद ने इन पत्रों का हिन्दी में अनुवाद किया है। इन पत्रों की हिंदी किताब 'पिता का पत्र ' का पहला पत्र आपके लिए प्रस्तुत है।

संसार पुस्तक है

जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत-सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन, अब, जब तुम अपनी छूट्टियों में पहड़ों पर मसूरी चली गई हो और मैं इलाहबाद में हूँ, तो हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिये मैने इरादा किया है कि कभी-कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे-बड़े देशों की जो दुनिया में हैं, छोटी-छोटी कथाएँ लिखा करुँ।

तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा-सा टापू है और हिंदुस्तान, जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, तो तुम्हें सब देशों का, और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे-छोटे खतों में बहुत थोड़ी-सी बातें ही बतला सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी-सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है, और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई-बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी-मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा।

यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों-करोड़ों वर्ष पुरानी है, और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, तब उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जाननेवालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें, पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगी कि ऐसा समय जरुर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो। लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, तो किताबे कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हों? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे-बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते, और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है ? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें है जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है।

मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार-रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितनी मजे की बात है। एक छोटा-सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा-सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाये। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी, सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसकी पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। .....शेष अगले पृष्ठ आखिर में पर

मेरा गांव छीला कश्मीर

जसपाल गंढेर, रमन लाल

मेरा गांव छीला कश्मीर है, जिसकी ग्राम पंचायत गोकुल है। हमारे गांव के सरपंच श्री हंसाराम मेघवाल जी है। गांव में आंगनवाड़ी केंद्र और तीन स्कूल है। गांव में करणी माता का मन्दिर भी है। गांव के चारों तरफ रेत के सुन्दर टीले हैं। इन टीलों पर चढ़कर जब आप हमारा गांव देखेंगे तो यह आपको बहुत सुंदर लगेगा। हमारे गांव की धापू दादी को सब जानते हैं। उन्होंने हमारे गांव तक पानी, बिजली और सड़क पहुंचाने में गांव वालों की बहुत मदद की। पहले यह गांव ऐसा नहीं था

हमारे चाचा जी ने बताया कि जब उनका जन्म हुआ था तब गांव में कोई स्कूल नहीं था। बिजली और सड़क तो दूर लोग पीने का पानी भी बहुत दूर से भरकर लाते थे। कई सालों तक गांव ऐसा ही रहा, इसके बाद हमारे गांव के पास इंदिरा गांधी नहर का पानी आया। गांव में पानी आते ही लोगों ने खेती करना शुरु कर दिया। बाजरा, मूंगफली, मोठ, ग्वार की खेती होने लगी। गांव में पेड़ भी लगने शुरु हो गये। आज ये पेड़ हरे-भरे और बहुत बड़े हैं, इसी दौरान गांव में एक शिक्षाकर्मी स्कूल शुरु हो गया। मेरे चाचा जी ने भी उसमें पढ़ना शुरु कर दिया। चाचा जी ने बताया कि इसके बाद लूणकरणसर तहसील में बसे कुछ गांवों के लोगों को हमारे गांव में रहने के लिये भेज दिया गया। हमारे गांव में कई नये परिवार आ गये। इससे गांव के लोगों की संख्या भी बढ़ गई। सरकार की तरफ से पांचवी तक का स्कूल खुल गया। धीरे-धीरे गांव के पास तक पक्की सड़क भी बना दी गई। जब मैंने स्कूल जाना शुरु किया था तब हमारे गांव के कुछ घरों में बिजली आती थी।

धीरे-धीरे सब के घर में बिजली आ गई। हमारे घर में बिजली का उपयोग सिर्फ शाम को अंधेरा होने पर रसोई में खाना बनाते समय और पढ़ने के लिये करते हैं। कई लोग अपने घरों में दिन में भी बल्ब जलाये रखते हैं। इससे बिजली बेकार ही होती है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिये। हमारे गांव में सिर्फ आठवीं तक का सरकारी स्कूल है। हमारे गांव से 12 किलोमीटर दूर हमारी ग्राम पंचायत गोकुल में एक 10 वीं तक का स्कूल है। वह बहुत दूर है। इसलिये गांव में 10 वी तक के दो प्राईवेट स्कूल खुल गये। 10 वी के बाद सभी को बज्जू या बीकानेर रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ती है। हमारे गांव की एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे गांव के सभी लड़के और लड़कियां स्कूल जाते हैं। धापू दादी ने सभी घरों में यह कह रखा है कि सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजे। उनका कहना सब मानते हैं। हम भी बड़ों का कहना मानते हैं।

संसार पुस्तक है का शेष.....

शायद अब भी तुम उसे थोड़ा-थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता ? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए ? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़ कर टुकड़े-टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकडा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया ? अगर तुम्हारी आँखें देखें और कान सुनें तो तुम उसी के मुँह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह, उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया ओर उसे बहा कर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुमने उसे पा लिया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते-होते अंत में रेत का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाईयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर रेत का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे-छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते।

बाएं से दाएं-कमला नेहरु, पंडित जवाहर लाल नेहरु और उनकी बेटी इंदिरा गांधी

अगर एक छोटा-सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से, जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं।

संपादन — दिपिका नैयर, रवि मिश्रा।
संपादन सहयोग — ज्ञानेंद्र श्रीमाली, सुनील लहरी, रवि चतुर्वेदी, पुखराज माली। मुद्रक—अरोड़ा प्रिंटर्स, बीकानेर
उरमूल सीमांत समिति के लिए प्लान इंडिया के सहयोग से उरमूल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित। निजी वितरण हेतु।
उरमूल सीमांत समिति, पावर ग्रिड के पास, बज्जू, ब्लॉक— कोलायत, बीकानेर — 334305, फोन : 01535—232034
बीकानेर में सपंर्क: उरमूल ट्रस्ट, उरमूल भवन। बीकानेर—334001 फोन : 015—2523093, mail@urmul.org